संख्या-15/2025/119 /001-78-2025-01099/189/2025

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांक 22-03-2025

विषयः- विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत हेतु 05 FTTH कनेक्शन हेतु परिचालन व्ययों (OPEX) के लिए धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2024-25), दिनांक 27-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 27-01-2025 द्वारा विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत 05 FTTH कनेक्शन हेतु परिचालन व्ययों (OPEX) के लिए उपलब्ध कराये गये वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में "2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स,11-विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 Wi-Fi कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु परिचालन व्ययों (OPEX) की व्यवस्था, 42-अन्य व्यय" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 4728.50 लाख (रूपये सैतालिस करोड, अठ्ठाईस लाख, पचास हजार मात्र) में से रु0 6,36,51,663 (रूपये छः करोड छत्तीस लाख इक्यावन हजार छः सौ तिरेसठ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड)-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय-भार के आधार पर ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल एवं सुसंगत शासनादेशों के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्गत धनराशि का उपयोग योजना के उद्देश्यों के अनुरूप हो, इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस संबंध में हुए एम0ओ0यू0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा धनराशि से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान से पूर्व व्यय संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,36,51,663 (रुपये छह करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार छह सौ तिरेसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072021100 विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 WI-FI कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु पिरचालन व्ययों (OPEX) की व्यवस्था मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

संख्या-15/2025/119(1)/001-78-2025-01099/189/2025 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/औद्योगिक विकास अनु0-2

11- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।